



क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
e-mail: cecb.robilaspur@gmail.com, Ph. No. 07752-261172
/क्षेका/छ.ग.प.सं.म./2018 बिलासपुर, दिनांक

क्रमांक
प्रति,


श्री राहुल भट्टाचार्य
E-mail: itranslatebetter@gmail.com
मो नं.- 9302405000

- विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी के संबंध।
संदर्भ :- मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 7063 दिनांक 13.03.2018 के माध्यम से आपका पत्र दिनांक 08.03.2018 इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 21.03.2018
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार चाही गई जानकारी आवेदक से पत्राचार हेतु पता उपलब्ध नहीं होने के कारण ई-मेल (itranslatebetter@gmail.com) के माध्यम से प्रेषित है।

जनसूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर, दिनांक 24/04/2018

पृ. क्रमांक 1037 /क्षेका/छ.ग.प.सं.म./2018
प्रतिलिपि:-

- श्री ए. के. त्रिवेदी, जनसूचना अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर मंडल मुख्यालय के पत्र क्र. 7063 दिनांक 13.03.2018 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।


जनसूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री राहुल भट्टाचार्य द्वारा
चाही गई बिन्दुवार जानकारी :-

1. अस्पतालों की सूची : संलग्नक- 01
2. अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं. : - निरंक
3. अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ : - निरंक
4. बायोमेडिकल वेस्ट की मात्रा (मासिक, त्रिमासिक एवं सालाना) पिछले साल 2016-2017 का ब्यौरा - 715 कि.ग्रा./दिन (वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017 अनुसार)
5. बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का तरीका एवं प्रबंधन हेतु लगे उपकरण की जानकारी - बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत किया जाता है नियम का अवलोकन वेब लिंक http://envfor.nic.in/sites/default/files/BMW%20Rules,%202016_1.pdf से किया जा सकता है।
6. पिछले पांच सालों में किसी अस्पताल में पर्यावरण विभाग द्वारा की गयी दंडात्मक कार्यवाही की जानकारी से जुड़े दस्तावेज - संलग्नक- 02

Blw